बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका सं0–9/मेला आवंटन (पटना)–III-06/2026–..................(9)/रा0, पटना–15, दिनांक–.......................

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– पटना जिलान्तर्गत पुनपुन अंतराष्ट्रीय पौष खरमास मेला, 2023 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु बकाया राशि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि में से मो0–07,28,761=00 (सात लाख अठाईस हजार सात सौ एकसठ) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक–4831/रा0, दिनांक–06.09.2025 के आलोक में पटना जिलान्तर्गत पुनपुन अंतराष्ट्रीय पौष खरमास मेला, 2023 के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु बकाया राशि के भुगतान के लिए मो0–07,28,761=00 (सात लाख अठाईस हजार सात सौ एकसठ) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि की निकासी शीर्ष–2029–भू–राजस्व–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध–0002–हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण–2701, लघु कार्य माँग सं0–40 विपत्र कोड–40–2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2025–26 में उपबंधित राशि से की जायेगी।
3. पटना जिलान्तर्गत पुनपुन अंतराष्ट्रीय पौष खरमास मेला, 2023 के लिए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय उक्त मेले के आयोजन के मद में हीं किया जायेगा तथा स्वीकृत/आवंटित राशि के व्यय का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगें ।
4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561(वी0)(2) दिनांक–17.04.98 एवं विभागीय पत्रांक–2894(9), दिनांक–07.08.2025 के आलोक में किया जायेगा।
5. इस राशि की निकासी CFMS 2.0 के माध्यम से आवंटन के पश्चात की जायेगी।
6. समाहर्त्ता, पटना को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित अपर समाहर्त्ता/संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा कराया जाय।
7. उक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
8. उक्त राशि का व्यय सिर्फ संबंधित मेले के आयोजन हेतु विभिन्न मदों में किया जायेगा।

9. यह राशि इस शर्त्त पर स्वीकृत एवं आवंटित की जाती है कि भुगतान की जाने वाली राशि का अभिश्रव (सत्यापित प्रति) राशि प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। विषयांकित मद का उपयोगिता राशि प्राप्ति की 30 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–185(9), दिनांक–16.01.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध कराई गई राशि की निकासी उस वित्तीय वर्ष में नहीं करने वाले उत्तरदायी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर आवश्यक प्रस्ताव के साथ विभाग को सुस्पष्ट प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांक:–9/मेला आवंटन (पटना)–III-06/2026–...481...(9)/रा0, पटना–15, दिनांक:–27/02/2026

फैक्स/ई–मेल

प्रतिलिपि :–आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/समाहर्त्ता, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना एवं उपकोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव। 27/02/26